न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—215/2020/225 (2020/00215)

1. श्रीमती नोसर देवी पत्नि गोरधन, जाति बैरवा, निवासी ग्राम मावसिया, तहसील नसीराबद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. धनपतनाथ पुत्र हीरानाथ, जाति कालबेलिया, निवासी ग्राम देवलिया, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 4.11.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 39/2020.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री सीताराम रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 24.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 4.11.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 पेश कर कथन किया कि ग्राम मावशिया के हाल खसरा नंबर 2126 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 2129 रकबा 0.71 है0, खसरा नंबर 2130 रकबा 0.01 है0 व खसरा नंबर 2131 रकबा 0.50 है0 प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात है । उक्त आराजियात के खातेदार गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ जाति कालबेलिया थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 6.9.1989 को हो गया है जिसकी एकमात्र वारिस पत्नि नाथी है । आराजी मुतनाजा गणपतनाथ की विरासत से नामांतकरण संख्या 134 दिनांक 20.11.2010 को नाथी पत्नि गणपतनाथ के नाम दर्ज हुई तथा नाथी ने उचित प्रतिफल राशि प्राप्त कर आराजी मुतनाजा का बैचान प्रार्थी को कर दिया है व कब्जा व दखल भी प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया है। उक्त आराजियात को हड़पने के लिए गणपतनाथ के स्वर्गवास के 31 वर्ष बाद अप्रार्थी संख्या 1 ने हाजा न्यायालय में नामांतकरण संख्या 134 के विरूद्ध अपील पेश की है जिस पर दिनांक 4.2.2020 को आदेश पारित कर नामांतकरण संख्या 134 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, नसीराबाद को रिमाण्ड किया गया जिसमें गणपतनाथ को जीवित बताकर दिनांक 18.8.2020 को आदेश पारित किया गया व आराजी मुतनाजा का

नामांतकरण करने पर आमादा है । तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.2.2020 के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय, अजमेर के समक्ष अपील पेश कर दी गई जो विचाराधीन है । अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजियात बाबत् उक्त आदेश के कारण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहा है तथा राजस्व अभिलेख का इंद्राज परिवर्तन करने पर आमादा है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 4.11.2020 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित भूमि जिसके वर्किंग खसरा नंबर 1836 के वर्तमान खसरा नंबर 2126 रकबा 0.0400 है0, खसरा नंबर 2129 रकबा 0.7100 हे0 एवं खसरा नंबर 2130 रकबा 0.0100 है0 गैर मुमकिन चाह तथा खसरा नंबर 2131 रकबा 0.5000 है0 की भूमियां ग्राम मावसिया तहसील नसीराबाद में स्थित है । वर्किंग खसरा नंबर 1836 रकबा 10 बीघा का आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 18.12.1975 को गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ, जाति कालबेलिया को आवंटन किया गया था । आवंटन के समय से गणपतनाथ का ही कब्जा काश्त रहा है एवं इसके स्वर्गवास के बाद ग्राम पंचायत मावसिया के द्वारा गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ का सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 20.10.2010 को जारी किया गया जिसके अनुसार गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ के एममात्र वारिस पत्नि श्रीमती नाथी थी जिसके नाम विरासत नामांतकरण संख्या 134 ग्राम पंचायत मावसिया के द्वारा स्वीकार किया गया । इस प्रकार भू–अभिलेख जमाबंदी के अनुसार खातेदार गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ की एकमात्र वारिस श्रीमती नाथी पत्नि गणपतनाथ के द्वारा अपीलाधीन भूमियां जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 8.11.2010 को अपीलांट को बैचान कर कब्जा काश्त संभला दिया गया तथा अपीलांट के नाम पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार सक्षम अधिकारी ग्राम पंचायत के द्वारा नामांतकरण भी स्वीकृत किया गया तथा राजस्व अभिलेख में अपीलांट को खातेदार दर्ज किया गया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन नहीं कर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि कारित की है । अप्रार्थी संख्या 1 धनपतनाथ जिसके पिता का नाम भी हीरानाथ है जो कि केकड़ी का मूल निवासी है । धनपतनाथ की पत्नि श्रीमती रूकमा देवी जो आज भी मौजूद है तथा रेस्पो0 संख्या 1 धनपतनाथ के पुत्र प्रकाशचंद, कैलाश व सूरमा है तथा एक पुत्री भी है जबकि गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ की एकमात्र वारिस श्रीमती नाथी ही है। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 का गणपतनाथ से कोई संबंध नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 134 दिनांक 20.12.2010 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष धनपतनाथ के द्वारा उर्फ गणपतनाथ लगाते हुए गणपतनाथ उर्फ धनपतनाथ बनाम श्रीमती नौसर देवी व अन्य अपील संख्या 20/2019 पेश की जिस पर आदेश दिनांक 4.2.2020 के अनुसार अपील रिमाण्ड कर तहसीलदार, नसीराबाद के समक्ष पुनः निर्णय हेतु प्रेषित की गई । इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में अपील संख्या 854/2020 श्रीमती नौसर देवी बनाम गणपतनाथ उर्फ धनपतनाथ व अन्य पेश की गई है जो विचाराधीन है । इस अपील के विचाराधीन रहते तहसीलदार नसीराबाद द्वारा दिनांक 18.8.2020 को धनपतनाथ के नाम

नामांतकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये । जिस पर तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.8.2020 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में अपील संख्या 917/2020 पेश की गई है जो भी विचाधीन है परन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । नामांतकरण की कार्यवाही समरी प्रोसीडिंग है जिसमें भूमि के संदर्भ में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही की जा सकती है । धनपतनाथ केकड़ी में निवास करता है जिसके संबंध में जन आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया जिसमें धनपतनाथ की जन्म तिथि दिनांक 1.1.1967 अंकित है एवं आयु 51 वर्ष दर्ज है । इसके अतिरिक्त राशनकार्ड, जनआधार कार्ड भी प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार अपीलाधीन भूमि जो कि दिनांक 18.12.1975 को गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ को आवंटित की गई थी, आवंटन आदेश के दिवस अप्रार्थी संख्या 1 जिसका जन्म 1967 का है, आयु लगभग 8 वर्ष थी तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग को भूमि आवंटन किऐ जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ का स्वर्गवास करीब 21 वर्ष पूर्व हो चुका था जिसकी एकमात्र वारिस श्रीमती नाथी है । विवादित भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2016 पेज 128, आर0आर0डी0 2019 पेज 413, आर0बी0जे 2019 पेज 551, आर0बी0जे0 2015 पेज 544, आर0बी0जे0 2016 पेज 468, 142 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अप्रार्थी संख्या 1 के जीवित रहने के बावजूद उसे मृत बताकर विरासत नामांतकरण संख्या 134 फर्जी विरासत के आधार पर नाथी देवी के नाम स्वीकृत करवाया गया है । उक्त नामांतकरण संख्या 134 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, नसीरबाद के समक्ष अपील पेश की जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर प्रकरण धारा 135 (2) भू–राजस्व अधि0 के तहत तहसीलदार, नसीराबाद को रिमाण्ड किया है । बाद साक्ष्य व जांच तहसीलदार, नसीराबाद ने दिनांक 18.8.2020 को निर्णय पारित कर राजस्व अभिलेख में अपीलांट के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है। बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट ने गणपतनाथ की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है । रेस्पो0 संख्या 1 पेश से घुमक्कड़ जाति का सदस्य है जो अक्सर कमाने खाने बाहर चला जाता है जिसका नाजायज फायदा उठाकर उसे मृत बताते हुए नामांतकरण संख्या 134 स्वीकृत कराया था जिसे बाद जांच निरस्त कर दिया गया है। अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तवोजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया। विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ जाति कालबेलिया था जिसका स्वर्गवास दिनांक 6.9.1989 को होने के उपरांत उसकी विरासत जरिये नामांतकरण संख्या 134 दिनांक 20.11.2010 को नाथी पत्नि गणपतनाथ के नाम स्वीकृत की गई । तत्पश्चात् श्रीमती नाथी पत्नि गणपतनाथ ने विवादित आराजियात जरिये

पंजीकृत विक्रय पत्र 8.11.2010 द्वारा अपीलांट को बैचान कर कब्जा काश्त सुपुर्द किया है । उक्त विक्रय पत्र की पालना में विवादित आराजियात नौसरदेवी पत्नि गोरधन, जाति जाट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर काबिज खातेदार है । रेस्पो0 संख्या 1 धनपतनाथ का यह कथन कि श्रीमती नाथी ने रेस्पो0 संख्या 1 के जीवित रहते उसे मृत बताकर नामांतकरण संख्या 134 फर्जी विरासत के आधार पर स्वीकृत कराया है । उक्त नामांतकरण संख्या 134 को अधी0न्याया0 ने निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, नसीराबाद को प्रतिप्रेषित किया है जिसे तहसीलदार ने बाद जांच दिनांक 18.8.2020 द्वारा नामांतकरण संख्या 134 को निरस्त कर दिया । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 18.8.2020 के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में अपील पेश करना अवगत कराकर अपील विचाराधीन होने का कथन किया है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार, नसीराबाद ने दिनांक 18.8.2020 को धनपतनाथ के नाम नामांतकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये है जिसके विरूद्ध भी अपीलांट ने माननीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में अपील पेश करना अवगत कराकर अपील विचाराधीन होने का कथन किया है । अपीलांट के विक्रेता के पक्ष में स्वीकृत विरासत नामांतकरण संख्या 134 एवं अपीलांट के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण विधिसम्मत् है अथवा नहीं इन सब सब तथ्यों का मूल वाद एवं मान0 सभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में विचाराधी अपीलों में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपीलांट विवादित आराजियात की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में पाया जाता है ।यदि रिकार्डेड खातेदार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वाद एवं प्रकरणों के निस्तारण से पूर्व यदि अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाता है तथा उसे बेदखल किया जाकर आराजियात का विक्रय अन्यंत्र हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी अपीलांट को ही होगी । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.11.2020 निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजियात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करे तथा किसी अन्य को विक्रय, रहन, हस्तातंरण इत्यादि नहीं करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर